तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 01/2024 श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधि. बनाम सुरेश व अन्य	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
15.5.2024	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (सुरेश पुत्र श्री केराराम माली, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, फर्म आबुराज किराणा स्टोर, शिवम प्लाजा, वलदरा रोड़, कालन्द्री, तहसील व जिला– सिरोही), प्रतिवादी संख्या–2 (मनोज कुमार, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी, पटवार घर के पास, भाटकडा, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही), प्रतिवादी संख्या–3 (मनोज अग्रवाल, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म ओरिया विनोद मार्केटिंग, आजाद मैदान, आबूरोड़, तहसील– आबूरोड़, जिला– सिरोही) एवं प्रतिवादी संख्या–4 (Ashok Kumar kalidas Bharatiya, खाद्य कारोबारकर्ता, प्रोपराईटर एवं निर्माता, Shree Veer Milk Products, 108, Honey Industry, At. Po-Masma, Ta. Olpad, Surat (guj.)-394110) उपस्थित। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाश माली ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 12.10.2022 को फर्म आबुराज किराणा स्टोर, शिवम प्लाजा, वलदरा रोड़, कालन्द्री, तहसील व जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता सुरेश पुत्र श्री केराराम माली, निवासी– हस्तिनापुर, कालन्द्री से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ घी (ओरिया ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1889 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1745/ Act/2022/1862 दिनांक 14.11.2022 में मिथ्याछाप (Misbranded) व अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 व 52 के तहत प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। जिस पर प्रतिवादीगण आज नियत सुनवाई दिनांक 15.5.2024 को इस न्यायालय में उपस्थित हुये एवं प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाश माली उपस्थित हुये। प्रतिवादीगण ने जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का आज ही निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादीगण के अधिवक्ता को सुना गया। प्रतिवादीगण के अधिवक्तागण ने बहस के दौरान अनुरोध किया कि यह प्रतिवादीगण का प्रथम अपराध है। प्रतिवादीगण अब ऐसी मिथ्याछाप व अमानक सामग्री विक्रय नही करेंगे। खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट में घी (ओरिया ब्राण्ड) के पैकिंग लेबल पर केवल मात्र expiry दिनांक अंकित नही होने व घी में टेस्ट फॉर फोरेन फेट absent	

.....पेज दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.06.03 17:13:34 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 01/2024 श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधि. बनाम सुरेश व अन्य	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	मिलने से मिथ्याछाप व अमानक पाया है, इसके अलावा सभी मानकों में खाद्य पदार्थ घी (ओरिया) सही पाया गया है। उक्त घी मानव जीवन के स्वास्थ्य के लिये हानिकारक नही था, इसलिये परिस्थितियों को देखते हुए प्रकरण में न्यूनतम जुर्माना करने का अनुरोध है। प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु दिनांक 12.10.2022 को समय 1.00 पी.एम. पर फर्म आबुराज किराणा स्टोर, शिवम प्लाजा, वलदरा रोड़, कालन्द्री, तहसील व जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से सुरेश पुत्र श्री केराराम माली, निवासी– हस्तिनापुर, कालन्द्री, तहसील व जिला– सिरोही उपस्थित मिले, जो फर्म आबुराज किराणा स्टोर में आम जनता को खाद्य पदार्थ घी (ओरिया ब्राण्ड़) का विक्रय करता है। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ घी (ओरिया ब्राण्ड) में मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में प्रतिवादी विक्रेता एवं खाद्य कारोबारकर्ता सुरेश पुत्र श्री केराराम माली को भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। दुकान के अन्दर आम जन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ घी (ओरिया ब्राण्ड) के 500–500 एम.एल. के पैक्ड जारों में से खाद्य पदार्थ घी (ओरिया ब्राण्ड) के 4 पैक्ड जार (प्रत्येक 500 एम.एल.) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु खरीदा एवं खाद्य पदार्थ घी (ओरिया ब्राण्ड) की कीमत राशि रुपये 1,000/– (रुपये एक हजार मात्र) प्रतिवादी विक्रेता सुरेश पुत्र श्री केराराम माली को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1889, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ घी (ओरिया ब्राण्ड) आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा घी (ओरिया ब्राण्ड) के चारों पैक्ड जारों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप कोड एवं एवं क्रम संख्या S-1889 उपर से लेकर नीचे तक गोंद से चिपकाई। प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता सुरेश पुत्र श्री केराराम माली के हस्ताक्षर कराये व श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा ....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.06.03 17:13:34 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला ... सिरोही
न्यायालय ... जिला ... सिरोही (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 01/2024 श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधि. बनाम सुरेश व अन्य	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	अधिकारी स्वयं ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सीलड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 14.10.2022 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री महेश परिहार, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं दिनांक 12.10.2022 को ही शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म आबुराज किराणा स्टोर, शिवम प्लाजा, वलदरा रोड़, कालन्द्री, तहसील व जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता व खाद्य कारोबारकर्ता सुरेश पुत्र श्री केराराम माली से खाद्य पदार्थ घी (ओरिया ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ घी (ओरिया ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1889 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1745/Act/2022/1862 दिनांक 14.11.2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ घी (ओरिया ब्राण्ड) का नमूना मिथ्याछाप (Misbranded) व अमानक (sub-standard) पाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी सुरेश पुत्र श्री केराराम माली की फर्म आबुराज किराणा स्टोर, शिवम प्लाजा, वलदरा रोड़, कालन्द्री द्वारा खाद्य पदार्थ घी (ओरिया ब्राण्ड) के पैकड जारों को प्रतिवादी फर्म कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी, भाटकडा, सिरोही से जरिये बिल क्रय किया गया है जो प्रतिवादी संख्या–2 (मनोज कुमार) की फर्म है। प्रतिवादी संख्या–2 (मनोज कुमार) की फर्म कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा खाद्य पदार्थ घी (ओरिया ब्राण्ड) के पैक्ड जारों को फर्म ओरिया विनोद मार्केटिंग, आजाद मैदान, आबूरोड़ से जरिये बिल क्रय किया गया है जो प्रतिवादी संख्या–3 (मनोज अग्रवाल) की फर्म है। प्रतिवादी संख्या–3 (मनोज अग्रवाल) की फर्म ओरिया विनोद मार्केटिंग, आजाद मैदान, ...लगातार	

मजि. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–आबूरोड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.06.03 17:13:34 IST
Reason: SelfAttested

सत्र न्यायाधीश जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 01/2024 श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधि. बनाम सुरेश व अन्य	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

आबूरोड़ द्वारा खाद्य पदार्थ घी (ओरिया ब्राण्ड) की मार्केटिंग व सप्लायर फर्म है एवं खाद्य पदार्थ घी (ओरिया ब्राण्ड) की निर्माता फर्म Shree Veer Milk Products, 108] Honey Industry, At. Po-Masma, Ta. Olpad, Surat है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 में विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक व निर्माता के दायित्व दिये हुए है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ घी (ओरिया ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है एवं प्रतिवादी संख्या–4 (Ashok Kumar kalidas Bharatiya) की प्रोपराईटरी फर्म Shree Veer Milk Products, 108, Honey Industry, At. Po-Masma, Ta. Olpad, Surat द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) व अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ घी (ओरिया ब्राण्ड़) का निर्माण, पैकिंग व विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ घी (ओरिया ब्राण्ड) के विक्रय हेतु प्रतिवादी सुरेश पुत्र श्री केराराम माली, निवासी– हस्तिनापुर, कालन्द्री, तहसील व जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, फर्म आबुराज किराणा स्टोर, शिवम प्लाजा, वलदरा रोड़, कालन्द्री, तहसील व जिला– सिरोही पर राशि रुपये 10,000/– (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) की, प्रतिवादी मनोज कुमार, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी, पटवार घर के पास, भाटकडा, सिरोही, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 10,000/– (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) की व प्रतिवादी मनोज अग्रवाल, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म ओरिया विनोद मार्केटिंग, आजाद मैदान, आबूरोड़, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 20,000/– (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) की तथा मिथ्याछाप (Misbranded) व अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ घी (ओरिया ब्राण्ड़) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु प्रतिवादी Ashok Kumar kalidas Bharatiya, खाद्य कारोबारकर्ता/प्रोपराईटर व निर्माता, फर्म Shree Veer Milk Products, 108, Honey Industry, At. Po- Masma, Ta. Olpad, Surat (guj.)-394110 पर राशि रुपये 30,000/– (अक्षरे रुपये तीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty)

.....लगातार

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Raj Sapela
Date: 2024.06.03 17:13:34 IST
Reason: SelfAttested

वरि. जिला ...
सिरोही–307001

न्यायालय ... जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 01/2024 श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधि. बनाम सुरेश व अन्य	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि उन पर अधिरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में अलग अलग Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादीगण को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 19.6.2024 को पेश हो। (डॉ. दिनेश राय सापेला) अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही–307001	

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.06.03 17:13:34 IST
Reason: SelfAttested